



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 340 राँची, मंगलवार, 6 श्रावण, 1942 (श०)
28 जुलाई, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
28 जुलाई, 2020

संख्या-2/रा0, स्था0 शक्ति प्रदत्त (खंड)-03/17 /1844/रा.,-- उपायुक्त, सरायकेला - खरखावाँ के पत्रांक-1371, दिनांक-24.06.2020 के आलोक में श्री विनय कुमार मिश्र, अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल को अपने विभागीय कार्यों के अलावे अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरखावाँ के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act.-2013") की धारा 3 (g) के तहत समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार-ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव